विकास

डीजीईएवंटी का विकास

पुनर्वास और रोजगार महानिदेशालय (डीजीआरएवंई), जो अब रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय के रूप में ज्ञात है , का गठन जुलाई, 1945 में सैन्य-वियोजित रक्षा सेवा कार्मिक तथा सेवामुक्त युद्ध कार्मिकों का पुनर्वास नागरिक जीवन में करने के प्रयोजन हेतु किया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात, पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों से संबंधित कार्यों की व्यवस्था के लिए भी निदेशालय का आह्वा न किया गया था। अनुवर्ती काल में , निदेशालय की कार्यसीमा का विस्तार कर 1948 में रोजगार चाहने वालों के सभी वर्गों हेतु रोजगार सेवाएं और 1950 में सभी नागरिकों हेतु प्रशिक्षण सेवाएं इसके अधीन शामिल कर दी गईं । प्रशिक्षण और रोजगार सेवा समिति (1952 में गठित शिव राव समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में रोजगार कार्यालयों तथा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई'ज) का दिन-प्रति-दिन का प्रशासनिक नियंत्रण 01.11.1956 से राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को हस्तांतरित कर दिया गया। केंद्र द्वारा राज्य सरकारों के साथ लागत साझेदारी 31-03-1969 तक संगठन की लागत के 60% की सीमा तक जारी रही, जिसके पश्चात, मई, 1968 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर योजना समाप्त कर दी गई। इस प्रकार जनशक्ति तथा रोजगार योजनाओं और शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का पूर्ण वित्तीय उत्तरदायित्व 01-04-1969 की प्रभावी तिथि से राज्य सरकारों /संघ शासित प्रशासनों को हस्तांतरित कर दिया गया। प्रत्येक क्रमिक पंचवर्षीय योजना के साथ केंद्र और राज्यों में रोजगार सेवा तथा प्रशिक्षण सेवा की गतिविधियों का भारी विस्तार हुआ।